# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली
## पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 09/2022
जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2022/46

| प्रार्थीगणः– | बनाम | अप्रार्थीगणः– |
|---|---|---|
| सरकार जरिये तहसीलदार, बाली | | हुकमसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी सादडा तहसील बाली जिला पाली राज. |

**"अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970"**

उपस्थित :–

- प्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार, बाली।
- अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चम्पावत।

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 07.03.2025

प्रार्थी तहसीलदार बाली ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत भू आवंटन एवं आवंटन सलाहकार समिति "प्रशासन गांवो के संग अभियान,2013 द्वारा ग्राम सादडा के खसरा नम्बर 656/1200 में से 0.3600 हैक्टेयर हैक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि का हुकमसिंह पुत्र सोहनसिंह के पक्ष में किए गए भू–आवंटन आदेश क्रमांक/प.12(2)/राज/नियमन/2013/117–118 दिनांक 21.01.2013 के विरूद्ध पेश किया है।

पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर पाली के निर्देशानुसार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली के आदेश क्रमांक/सीलिंग/कोर्ट/2022/182 दिनांक 20.12.2022 द्वारा स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने सीधे बहस सुनने का निवेदन किया अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

तहसीलदार बाली के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 के आवंटी का मौके पर आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी का व्यवसाय कृषि या कृषि सह कार्य नहीं हैं। वक्त आवंटन आंवटी के द्वारा असत्य तथ्य प्रकट कर आवंटन/नियमन करवाया हैं। आवंटी के द्वारा आवंटन/नियमन की शर्तों की पालना नहीं की हैं। गैर खातेदारी आवंटन/नियमन वर्ष 2013 में हुई है। जिसके नामान्तरकरण संख्या 758 दिनांक 30.01.2013 हैं। मौके पर आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। उक्त भूमि मौके पर पड़त पडी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत कर आवंटी का आवंटन/नियमन को निरस्त फरमाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

CamScanner

प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार बाली से वर्तमान मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाली ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1525 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रेषित की, जिसके अनुसार ग्राम सादडा के खसरा नम्बर 1200/1238 रकबा 0.3600 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि गैर खातेदार हुकमसिंह पुत्र सोहनसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार गैर खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि खसरा संख्या 658 (गै.मु.नाला) के किनारे होने से लगभग 0.1200 हैक्टर भूमि उक्त नाले के द्वारा काट ली गई है, शेष भूमि में अभी भी तिल की फसल बोई गई है, जो गैर खातेदार हुकमसिंह पुत्र सोहनसिंह द्वारा बोई गई है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी तहसीलदार बाली द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के ज़रिए अप्रार्थी गैर खातेदार के पक्ष में किए आवंटन/नियमन को इस आधार पर खारिज करने की मांग की गई है कि अप्रार्थी गैर खातेदार द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की जा रही है अतः आवंटन शर्तो की अवहेलना की गई है जबकि स्वयं प्रार्थी तहसीलदार ने अपने पत्रांक/1525 दिनांक 04.09.2024 द्वारा न्यायालय को अवगत कराया है कि अप्रार्थी द्वारा कुल आवंटित भूमि 0.3600 हैक्टेयर में से 0.12 हैक्टेयर छोड़कर शेष भूमि पर तिल की फसल बोयी गई है। अर्थात् काश्त नहीं होने का प्रार्थी तहसीलदार का कथन उनकी नवीनतम रिपोर्ट से स्वतः ही निराधार सिद्ध हो गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष ने बहस के अंत में कथन किया कि वर्ष 2013 में आवंटन/नियमन आदेश होने के पश्चात नियमानुसार आवंटी को विधिवत कब्जा प्राप्त हुआ था एवं आवंटी के पक्ष मे जैर आवंटन आदेश आवंटन नियमों के तहत एवं विधिवत प्रावधानों अनुसार किया गया है ऐसे में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त किया जाए।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र भू आवंटन एवं आवंटन सलाहकार समिति " "प्रशासन गांवो के संग अभियान,2013 द्वारा ग्राम सादडा के खसरा नम्बर 656/1200 में से 0.3600 हैक्टेयर हैक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि का हुकमसिंह पुत्र सोहनसिंह के पक्ष में किए गए भू–आवंटन आदेश क्रमांक/प.12(2)/राज/नियमन/2013/117–118 दिनांक 21.01.2013 के विरुद्ध पेश किया है।

आवंटन आदेश के अनुक्रम में नामान्तरकरण संख्या 758 दिनांक 30.01.2013 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर पाया गया कि कृषि भूमि आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 19.01.2013 में लिए गए निर्णय एवं उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश क्रमांक/117–118 दिनांक 21.01.2013 के द्वारा मौजा ग्राम सादडा के खसरा नम्बर 656/1200 में से 0.3600 हैक्टेयर हैक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि का हुकमसिंह पुत्र सोहनसिंह के पक्ष में किया गया। तदन्तर अप्रार्थीगण गैर खातेदार के रुप में ही दर्ज हैं। प्रार्थी तहसीलदार बाली द्वारा अप्रार्थी गैर खातेदार के विरुद्ध आवंटित भूमि पर काश्त नहीं होने के आधार पर हस्तगत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आवंटित भूमि खसरा संख्या 1200/1238 रकबा 0.36 हैक्टेयर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

का आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया है, किन्तु स्वयं प्रार्थी तहसीलदार द्वारा न्यायालय हाजा को ज़रिए पत्रांक/1525 दिनांक 04.09.2024 से प्रेषित मौका रिपोर्ट (मौका फ़र्द दिनांक 22.08.2024) में स्वीकार किया गया है कि मौक़े पर उक्त खसरा संख्या 658 (गै.मु.नाला) के किनारे होने से लगभग 0.12 हैक्टेयर भूमि उक्त नाले के द्वारा काट ली गई है, शेष भूमि में अभी तिल की फसल बोई गई है, जो गैर खातेदार हुकमसिंह पुत्र सोहनसिंह द्वारा बोई गई है।

अर्थात तहसीलदार बाली द्वारा आवंटित भूमि कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर में से 0.12 हैक्टेयर को छोड़कर शेष भूमि पर गैर खातेदार/आवंटी का कब्जा एवं काश्त होना स्वीकार किया गया है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम 1970 आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर निर्देश दिए जाते है कि अप्रार्थी गैर खातेदार के पक्ष में आवंटित भूमि खसरा संख्या 1200/1238 रकबा 0.36 हैक्टेयर में से 0.12 हैक्टेयर भूमि, जो कि समीपवर्ती खसरा संख्या 658 गै.मु.नाला द्वारा काट ली गई है तथा जिस पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है एवं जो मौक़ा फर्द दिनांक 22.08.2024 में अंकित नज़री नक्शें में लाल स्याही से तदनुरुप इंगित की गई है, को राजकीय भूमि के रुप में दर्ज किया जाए। उक्तानुसार राजकीय भूमि के रुप में दर्ज करते हुए उक्त 0.12 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी गैर खातेदार के खाते से कम की जाकर शेष इन्द्राज यथावत रखे जाए। निर्णय की सत्यप्रति प्रार्थी तहसीलदार बाली को पालनार्थ प्रेषित की जाए।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (राज.)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, बाली (राज.)

CamScanner